न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 27 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा उम्र 48 वर्ष पुत्र हणमान।
2 सुरेश उम्र 34 वर्ष पुत्र धुड़ा समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 राधा देवी बेवा नानूराम।

2 प्रकाशचन्द्र पुत्र नानूराम।

3 पार्वती पुत्री नानूराम।

4 भागोती पुत्री नानूराम।

5 धापू पुत्री नानूराम समस्त बलाई निवासीगण ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0।

6 हल्का पटवारी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर राज0।

7 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर राज0।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.11.15 मु.नं. 10 / 13

बउनवानी रामचन्द्र बनाम राधा देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.08.18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 10 / 13 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद बाबत उद्घोषणा प्रस्तुत कर साथ में धारा 212 आर.टी.ए. का आवेदन वाके ग्राम जुराठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 460 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अपीलांटस के पूर्वजो के नाम एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी राजस्व कर्मचारियों ने गलती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

से इसे बंजर दर्ज कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट ने अपने नाम आंवटन नियमन करवा लिया जबकि कब्जा काश्त अपीलांट का है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया है। जिसकी अपीलांट को जानकारी विलम्ब से हुई है अत धारा 5 स्वीकार कर मियाद का लाभ दिया जाये एवं अपील अपीलांट स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेंट को पाबंद किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 460 सिवायचक बंजर होने के कारण से नानूराम के पक्ष में नियमानुसार आंवटन हुई अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। अपीलांट न तो खातेदार है न ही काबिज है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 460 सिवाय चक बंजर होने के कारण से नानूराम के पक्ष में नियमानुसार आंवटन हुई तथा नानूराम को गैर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया नियमानुसार 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। नानूराम की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरण तस्दीक हुआ 183बी की कार्यवाही में प्रार्थीगण अपीलांटस ने स्वेच्छा से कब्जा खाली कर दिया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट का न तो विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है न ही खातेदार है ऐसी स्थिति में पृथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलांट के विरूद्व पाये जाते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अत अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है न्यायाहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर